

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-ई-11 / नर्सिंग / नर्स-2 / एच-425 / 18 / दिनांक:-

आदेश

श्री हेमन्त कुमार शर्मा नर्स-2, सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर को पासपोर्ट बनवाने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृत प्राप्त कर प्रस्थान करेंगे।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
4. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. विदेश में किसी भी राष्ट्रविरोधी / अवैधानिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होंगे।

उक्त स्वीकृती प्रशासनिक विभाग की आई.डी. क्रमांक 780 दि 16.04.2018 के अनुसरण में जारी की जा रही है।




(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-ई-11 / नर्सिंग / नर्स-2 / एच-425 / 18 / 797 दिनांक:- 04/06/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी.क्रमांक 115 दिनांक 07.05.18 के क्रम में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी.क्रमांक 2780 दिनांक 09.05.18 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी.क्रमांक 780 दिनांक 16.04.18 के क्रम में।
4. अधीक्षक, सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर।
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।